परिपत्र सं. 02 /2018-सीमाशुल्क

फा.सं. 450/178/2015-सीमाशुल्क-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

कमरा नंबर 227बी, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक, 12 जनवरी, 2018

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/ सीमाशुल्क (निवारक),

सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क/ सीमाशुल्क (निवारक)

विषय: - अपने उपभोक्ता मानक (KYC) को जानने -की बाबत

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबन्धित बोर्ड के परिपत्र संख्या 07/2015- सीमाशुल्क दिनांक 12.02.2015 और 13/2016- सीमाशुल्क दिनांक 26.04.2016 पर ध्यान दें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित KYC मानक की तर्ज पर इस बोर्ड ने भी यह निर्णय लिया है कि KYC सत्यापन के लिए दो प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत है- पहला पहचान के प्रमाण के लिए ओर दूसरा पते के प्रमाण के लिए। हालांकि, व्यक्तियों के मामलों में, यदि बोर्ड के परिपत्र संख्या 09/2010- सीमाशुल्क दिनांक 08.04.2010 में कोई भी एक दस्तावेज़ संलग्न हैं और इसमे पहचान ओर पते दोनों के प्रमाण है तो भी यह KYC सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। आधार कार्ड को भी व्यक्तियों से संबन्धित एक दस्ततावेज के रूप मे माना गया है। बोर्ड ने व्यक्तियों के मामलो में KYC मानक मे और भी शिथिलिता बरती हैं। ऐसा उन व्यक्तियों की समस्याओं को देखते हुए किया है जिनके पास निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में पहचान का प्रमाण तो है लेकिन उनके वर्तमान रहने का पता उस पर उल्लिखित नहीं है। इसके अलावा, कई कई बार व्यक्तियों को अपने वर्तमान पता का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। ऐसे मामलो में यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्तिगत परेषिती को किसी प्रेषण कि डिलिवरी करते समय प्राधिकारित कूरियर का प्रतिनिधि जो पहचान प्रमाण पत्र संकलित करता है, जिसमे

उस स्थान का पता दर्ज होता हो जहां कि ऐसे प्राधिकृत कूरियर कंपनी के द्वारा प्रेषण को परेषिती के पास डिलीवर करना हो वह प्रमाण पत्र KYC के सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा [देखे परिपत्र संख्या 13/2016- सीमाशुल्क दिनांक 26.04.2016]। इस बारे में और भी स्पष्टता लाने के लिए, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कूरियर के माध्यम से किए जाने वाले आयात या निर्यात के मामले में आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड या वोटर कार्ड मे से कोई भी KYC सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि डिलिवरी के स्थान के पते का लिखा जाना जारी रहेगा।

3. माल एवं सेवा कर को लागू किए जाने और सरकार द्वारा एक अद्वितीय पहचान को अपनाने के लिए ज़ोर दिये जाने की बात को देखते हुए बोर्ड ने KYC सत्यापन के मानक को और सरल बनाने का निर्णय लिया है। तथानुसार पहले के निर्देशों में संसोधन करते हुए, किसी फ़र्म, कंपनी, संस्थान, जो कि जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हों, के माध्यम से किए जाने वाले आयात या निर्यात के मामले में GSTIN को KYC सत्यापन के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा। यदि ऐसी फ़र्म, कंपनी या संस्थान GST कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो, unique identification number (UIN) या पैन KYC सत्यापन के लिए एक दस्तावेज़ का काम करेंगे। इसके अलावा, ऐसे packages जिनमे पत्र या दस्तावेज़ होंगे उनको KYC सत्यापन से छूट दी जाएगी। हालांकि, यह ज़िम्मेदारी प्राधिकृत कूरियर की होगी कि ऐसे packages का एक्स-RAY कराया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे packages में पत्र ओर दस्तावेजों के अलावा और कोई चीज ना हो।

4. सभी अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्तों से आग्रह है कि वे इस बारें मे सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी करें। इसके क्रियान्वयन मे यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी मे लाया जा सकता है।

भवदीय

जुबेर रियाज

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)